आई.सी.- IC-56 - अग्नि बीमा दावे

पुस्तक में मूल पाठ

अध्याय 12 पृष्ठ क्र. 235- तालिका 1

प्राधिकारी	क्षेत्राधिकार	हानि की मात्रा
जिला आयोग (डीसीडीआरसी)	सिविल न्यायालय को आदेश निष्पादन का आदेश देता है	देय दावा राशि रु.1 करोड़ से कम होती है
राज्य आयोग (एससीडीआरसी)	मूल, अपीलीय तथा पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार	देय दावा राशि रु. 1 करोड़ से अधिक किंतु रु. 10 करोड़ से कम होती है
राष्ट्रीय आयोग (एनसीडीआरसी)	मूल, अपीलीय तथा पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार - अंतिम प्राधिकारी	देय दावा राशि रु. 10 करोड़ से अधिक होती है

संशोधित पाठ के रूप में

अध्याय 12 पृष्ठ क्र. 235- तालिका 1

प्राधिकारी	क्षेत्राधिकार	हानि की मात्रा
जिला आयोग (डीसीडीआरसी)	सिविल न्यायालय को आदेश निष्पादन का आदेश देता है	देय दावा राशि रु. 50 लाख से कम होती है
राज्य आयोग (एससीडीआरसी)	मूल, अपीलीय तथा पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार	देय दावा राशि रु. 50 लाख से अधिक किंतु रु. 2 करोड़ से कम होती है
राष्ट्रीय आयोग (एनसीडीआरसी)	मूल, अपीलीय तथा पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार - अंतिम प्राधिकारी	देय दावा राशि रु. 2 करोड़ से अधिक होती है

<u>पुस्तक में मूल पाठ</u>

<u>अध्याय 2 पृष्ठ क्र. 30- पॉइन्ट – f) क्षतिपूर्ति की सीमा</u>

- जैसा कि पॉलिसी में परिभाषित किया गया है, इस आवरण के अंतर्गत क्षतिपूर्ति की सीमा बीमाकृत राशि या किसी एक स्थल पर रु. 1500 करोड़, जो भी न्यूनतर हो, से अधिक नहीं होगी. जहां एक ही संकुल/स्थल के लिए किसी एक या विभिन्न बीमाकर्ताओं से कई सारी बीमा पॉलिसियां ली गयी हों, वहां प्रति संकुल/स्थल किसी एक या सभी बीमाकर्ताओं की ओर से देय अधिकतम सकल हानि राशि रु.1500 करोड़ होगी. यदि किसी ऐसे संकुल/स्थल पर घटित हानि की वास्तविक सकल राशि रु.1500 करोड़ से अधिक होती है तो एकल पॉलिसियों के अंतर्गत देय राशि पॉलिसियों की बीमाकृत राशि के अनुपात में कम कर दी जाएगी.

  नोटः 1 अप्रैल, 2017 से प्रति स्थल हानि सीमा बढ़ाकर रु.2000 करोड़ किये जाने की संभावना है.

<u>संशोधित पाठ के रूप में</u>

<u>अध्याय 2 पृष्ठ क्र. 30- पॉइन्ट – f) क्षतिपूर्ति की सीमा</u>

- जैसा कि पॉलिसी में परिभाषित किया गया है, इस आवरण के अंतर्गत क्षतिपूर्ति की सीमा कुल बीमाकृत राशि या किसी संकुल/स्थल पर रु. 2000 करोड़, जो भी न्यूनतर हो, से अधिक नहीं होगी. जहां एक ही संकुल/स्थल के लिए किसी एक या विभिन्न बीमाकर्ताओं से कई सारी बीमा पॉलिसियां ली गयी हों, वहां प्रति संकुल/स्थल किसी एक या सभी बीमाकर्ताओं की ओर से देय अधिकतम सकल हानि राशि रु.2000 करोड़ जो भी न्यूनतर हो. यदि किसी ऐसे संकुल/स्थल पर घटित हानि की वास्तविक सकल राशि रु.2000 करोड़ से अधिक होती है तो एकल पॉलिसियों के अंतर्गत देय राशि पॉलिसियों की बीमाकृत राशि के अनुपात में कम कर दी जाएगी.

  (**नोटः** 1 अप्रैल, 2017 से प्रति स्थल हानि सीमा बढ़ाकर रु.2000 करोड़ कर दिया गया है.)

<u>पुस्तक में मूल पाठ</u>

<u>अध्याय 2 पृष्ठ क्र. 31- पॉइन्ट – g) आधिक्य</u>

निम्नलिखित के अध्यधीन प्रत्येक दावे के लिए बीमाकृत राशि का 0.5%:

i. न्यूनतम रु.1,00,000 और अधिकतम रु.100,000,000(औद्योगिक जोखिमों के लिए)

ii. न्यूनतम रु.25,000 और अधिकतम रु.1,000,000/- (गैर-औद्योगिक जोखिमों के लिए)/न्यूनतम रु.10,000 और अधिकतम रु.5,00,000/-(दूकानों और निवास स्थानों के लिए)

<u>संशोधित पाठ के रूप में</u>

<u>अध्याय 2 पृष्ठ क्र. 31- पॉइन्ट – g) आधिक्य</u>

i. दुकानें और आवासीय जोखिम: प्रत्येक दावे के लिए दावा राशि का 1% न्यूनतम रु.10,000 और अधिकतम रु.500,000 के अधीन

ii. गैर-औद्योगिक जोखिम: प्रत्येक दावे के लिए दावा राशि का 1% न्यूनतम रु. 25,000 और अधिकतम रु. 1,000,000 के अधीन

iii. औद्योगिक जोखिम: प्रत्येक दावे के लिए दावा राशि का 5% न्यूनतम INR 100,000 और अधिकतम INR 25,00,000 . के अधीन

*जो भी लागू हो?

<u>पुस्तक में मूल पाठ</u>

<u>अध्याय 2 पृष्ठ क्र. 42- पॉइन्ट – b) आधिक्य क्लॉज- पॉइन्ट (i)</u>

- प्रत्येक दावा मामले में शुद्ध दावा राशि का 5% किंतु न्यूनतम रु.10,000 का व्यवकलनीय लागू होता है (उन पॉलिसियों के संबंध में जिनकी प्रति स्थल बीमाकृत राशि रु. 10 करोड़ तक रहती है). तथापि, जिन पॉलिसियों की प्रति स्थल बीमाकृत राशि रु. 10 करोड़ से अधिक होती है उनके मामले में यह प्रत्येक शुद्ध दावा राशि के लिए 5% किंतु न्यूनतम रु.25,000 की दर से लागू होता है.

<u>संशोधित पाठ के रूप में</u>

<u>अध्याय 2 पृष्ठ क्र. 42- पॉइन्ट – b) आधिक्य क्लॉज- पॉइन्ट (i)</u>

- प्रत्येक दावा मामले में शुद्ध दावा राशि का 5% किंतु न्यूनतम रु.10,000 का व्यवकलनीय लागू होता है (उन पॉलिसियों के संबंध में जिनकी प्रति स्थल बीमाकृत राशि रु. 10 करोड़ तक रहती है). तथापि, जिन पॉलिसियों की प्रति स्थल बीमाकृत राशि रु. 10 करोड़ से अधिक और 100 करोड़ तक होती है उनके मामले में यह प्रत्येक शुद्ध दावा राशि के लिए 5% किंतु न्यूनतम रु.25,000 की दर से लागू होता है. (महत्वपूर्ण नोट: चूंकि आधिक्य राशि समय-समय पर परिवर्तन के अधीन होती है, हमें शुद्ध देय हानि की गणना करते समय पॉलिसी के मुख्य भाग पर लिखे गए लागू आधिक्य को देखना आवश्यक है)

पुस्तक में मूल पाठ

अध्याय 2 पृष्ठ क्र. 49- सारांश पॉइन्ट (e)

- आतंकवाद क्षति आवरणः इस आवरण के अंतर्गत क्षतिपूर्ति की सीमा बीमाकृत राशि या किसी एक स्थल पर रु.1500 करोड़, जो भी न्यूनतर हो, से अधिक नहीं होगी.

संशोधित पाठ के रूप में

अध्याय 2 पृष्ठ क्र. 49- सारांश पॉइन्ट (e)

- आतंकवाद क्षति आवरणः इस आवरण के अंतर्गत क्षतिपूर्ति की सीमा बीमाकृत राशि या किसी एक स्थल पर रु.2000 करोड़, जो भी न्यूनतर हो, से अधिक नहीं होगी.

पुस्तक में मूल पाठ

अध्याय 2 पृष्ठ क्र. 51

स्व-परीक्षा प्रश्न

प्रश्न 1

''आतंकवाद क्षति आवरण'' के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

I. क्षतिपूर्ति की सीमा पॉलिसी में यथा परिभाषित बीमाकृत राशि या किसी एक स्थल पर रु.1000 करोड़, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी.
II. क्षतिपूर्ति की सीमा पॉलिसी में यथा परिभाषित बीमाकृत राशि या किसी एक स्थल पर रु.1000 करोड़, जो भी उच्चतर हो, से अधिक नहीं होगी.
III. क्षतिपूर्ति की सीमा पॉलिसी में यथा परिभाषित बीमाकृत राशि या किसी एक स्थल पर रु.1500 करोड़, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी.
IV. क्षतिपूर्ति की सीमा पॉलिसी में यथा परिभाषित बीमाकृत राशि या किसी एक स्थल पर रु.1500 करोड़, जो भी उच्चतर हो, से अधिक नहीं होगी.

पुस्तक में मूल पाठ

अध्याय 2 पृष्ठ क्र. 52

स्व-परीक्षा प्रश्नों के उत्तर

उत्तर 1

सही विकल्प है III.

क्षतिपूर्ति की सीमा पॉलिसी में यथा परिभाषित बीमाकृत राशि या किसी एक स्थल पर रु.1500 करोड़, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी.

संशोधित पाठ के रूप में

अध्याय 2 पृष्ठ क्र. 51

स्व-परीक्षा प्रश्न

प्रश्न 1

''आतंकवाद क्षति आवरण'' के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

I. क्षतिपूर्ति की सीमा पॉलिसी में यथा परिभाषित बीमाकृत राशि या किसी एक स्थल पर रु.1000 करोड़, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी.

II. क्षतिपूर्ति की सीमा पॉलिसी में यथा परिभाषित बीमाकृत राशि या किसी एक स्थल पर रु.1000 करोड़, जो भी उच्चतर हो, से अधिक नहीं होगी.

III. क्षतिपूर्ति की सीमा पॉलिसी में यथा परिभाषित बीमाकृत राशि या किसी एक स्थल पर रु.2000 करोड़, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी.

IV. क्षतिपूर्ति की सीमा पॉलिसी में यथा परिभाषित बीमाकृत राशि या किसी एक स्थल पर रु.1500 करोड़, जो भी उच्चतर हो, से अधिक नहीं होगी.

संशोधित पाठ के रूप में

अध्याय 2 पृष्ठ क्र. 52

स्व-परीक्षा प्रश्नों के उत्तर

उत्तर 1

सही विकल्प है III.

क्षतिपूर्ति की सीमा पॉलिसी में यथा परिभाषित बीमाकृत राशि या किसी एक स्थल पर रु.2000 करोड़, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी.

पुस्तक में मूल पाठ

अध्याय 4 पृष्ठ क्र. 75

महत्वपूर्ण

- बीमा अधिनियम में यह प्रावधान है कि रु.20,000/- और उससे अधिक के सभी दावों का सर्वेक्षण लाइसेंसधारक सर्वेयरों द्वारा किया जाना जरुरी है.
- सामान्यतया बीमाकर्ताओं की ओर से रु.20,000/- से कम के दावों के लिए भी सर्वेयरों की नियुक्ति की जाती है जबकि सापेक्षतया छोटी हानियों के लिए इन-हाउस सर्वेयरों की सेवाएं ली जानी चाहिए.

संशोधित पाठ के रूप में

अध्याय 4 पृष्ठ क्र. 75

महत्वपूर्ण

- भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) विनियम 2015 के विनियम 12 के अनुसार, 1,00,000/- और उससे अधिक के सभी दावों का सर्वेक्षकों लाइसेंसधारक सर्वेक्षकों द्वारा किया जाना आवश्यक है.
- सामान्यतया बीमाकर्ताओं की ओर से रु.1,00,000/- से कम के दावों के लिए भी सर्वेक्षकों की नियुक्ति की जाती है जबकि सापेक्षतया छोटी हानियों के लिए इन-हाउस सर्वेयरों की सेवाएं ली जानी चाहिए.

पुस्तक में मूल पाठ

अध्याय 4 पृष्ठ क्र. 80

स्व परीक्षण 1

माधव एक दूकान का मालिक है. उसकी दूकान में आग लगी और दूकान जल कर नष्ट हो गयी. माधव ने रु. 5 लाख की अग्नि बीमा पॉलिसी ले रखी है. माधव ने आग लगने की सूचना बीमा कंपनी को दी और उसे पहुंची हानि के लिए रु.3,00,000 का दावा किया. इस प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

I. बीमा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बीमा कंपनी अपने विवेकानुसार यह निर्णय ले सकती है कि उसे सर्वेयर नियुक्त करने की जरुरत है या नहीं.

II. बीमा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बीमा कंपनी को सर्वेयर नियुक्त करना है क्योंकि दावा राशि रु.20,000 से अधिक है.

III. बीमा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बीमा कंपनी को सर्वेयर की नियुक्ति करनी होगी यदि बीमाधारक (इस मामले में माधव) इस बात पर जोर देता हो कि सर्वेयर की नियुक्ति की जाए ताकि दावा निपटान हेतु किसी तटस्थ व्यक्ति द्वारा दी गयी राय पर विचार किया जा सके.

IV. बीमा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बीमा कंपनी को सर्वेयर नियुक्त करना है क्योंकि दावा राशि रु.50,000 से अधिक है

पुस्तक में मूल पाठ

अध्याय 4 पृष्ठ क्र. 91

स्व परीक्षण के उत्तर

उत्तर 1

सही उत्तर है II.

बीमा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यदि दावा राशि रु.20,000/- से अधिक होती है तो बीमा कंपनी को सर्वेयर की नियुक्ति करनी होती है.

संशोधित पाठ के रूप में

अध्याय 4 पृष्ठ क्र. 80

स्व परीक्षण 1

माधव एक दूकान का मालिक है. उसकी दूकान में आग लगी और दूकान जल कर नष्ट हो गयी. माधव ने रु. 5 लाख की अग्नि बीमा पॉलिसी ले रखी है. माधव ने आग लगने की सूचना बीमा कंपनी को दी और उसे पहुंची हानि के लिए रु.3,00,000 का दावा किया. इस प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

I. बीमा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बीमा कंपनी अपने विवेकानुसार यह निर्णय ले सकती है कि उसे सर्वेयर नियुक्त करने की जरुरत है या नहीं.

II. बीमा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बीमा कंपनी को सर्वेयर नियुक्त करना है क्योंकि दावा राशि रु.1,00,000 से अधिक है.

III. बीमा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बीमा कंपनी को सर्वेयर की नियुक्ति करनी होगी यदि बीमाधारक (इस मामले में माधव) इस बात पर जोर देता हो कि सर्वेयर की नियुक्ति की जाए ताकि दावा निपटान हेतु किसी तटस्थ व्यक्ति द्वारा दी गयी राय पर विचार किया जा सके.

IV. बीमा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बीमा कंपनी को सर्वेयर नियुक्त करना है क्योंकि दावा राशि रु.50,000 से अधिक है.

संशोधित पाठ के रूप में

अध्याय 4 पृष्ठ क्र. 91

स्व-परीक्षा प्रश्नों के उत्तर

उत्तर 1

सही उत्तर है II.

बीमा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यदि दावा राशि रु.1,00,000/- से अधिक होती है तो बीमा कंपनी को सर्वेयर की नियुक्ति करनी होती है.

पुस्तक में मूल पाठ

अध्याय 6 पृष्ठ क्र. 112 -113 पॉइन्ट 4- क्षतिपूर्ति की सीमा को प्रभावित करने वाले मुद्दे उप- पॉइन्ट (d)

d) **आधिक्य हेतु कटौती :** उदाहरणार्थ, अग्नि पॉलिसी दैवी आपदाओं के फलस्वरुप होने वाली प्रत्येक हानि हेतु दावा राशि के 5% आधिक्य, जो कि न्यूनतम रु.10,000 होगा, के अधीन रहती है और प्रति स्थल रु.10 करोड़ तक की बीमाकृत राशि वाली पॉलिसियों के तहत अन्य जोखिमों से होने वाली प्रत्येक हानि के लिए रु.10,000 होती है. तथापि, प्रति स्थल रु.10 करोड़ से अधिक की बीमाकृत राशि वाली पॉलिसियों के मामले में अग्नि पॉलिसी दैवी आपदाओं के फलस्वरुप होने वाली प्रत्येक हानि हेतु दावा राशि के 5% आधिक्य जो कि न्यूनतम रु.25,000 होगा,के अधीन रहती है और अन्य जोखिमों से होने वाली प्रत्येक हानि के लिए न्यूनतम रु.10,000 के अधीन होगी. एड-ऑन आवरणों के अंतर्गत भी आधिक्य लागू हो सकता है. यदि स्वैच्छिक व्यवकलनीय का विकल्प चुना गया हो तो वह पॉलिसी में मुद्रित आधिक्य का स्थान ले लेता है.

संशोधित पाठ के रूप में

अध्याय 6 पृष्ठ क्र. 112-113 पॉइन्ट 4- क्षतिपूर्ति की सीमा को प्रभावित करने वाले विचारणीय तथ्य - उप- पॉइन्ट (d)

(d) **आधिक्य हेतु कटौती** : उदाहरणार्थ, अग्नि पॉलिसी, प्रति स्थान 10 करोड़ रुपये की बीमित राशि वाली पालिसियों हेतु दावा राशि के 5% से अधिक के एवम् न्यूनतम 10,000/- रुपये के अधीन है। तथापि, प्रति स्थान 10 करोड़ रुपये से 100 करोड़ रुपये तक की बीमित राशियों की पालिसियों हेतु, अग्नि पालिसी, दावा राशि के 5% से अधिक एवम् न्यूनतम 25,000 रुपये के अधीन है। आधिक्य "ऐड-ऑन" कवर के अंतर्गत भी लागू हो सकता है। स्वैच्छिक कटौती, अगर चुनी गयी है तो, पॉलिसी पर मुद्रित आधिक्य के बावजूद, लागू होगी ।

<u>पुस्तक में मूल पाठ</u>

<u>अध्याय 7 पृष्ठ क्र. 134 – तालिका</u>

	बीमाकृत राशि	मूल्य	हानि	देय राशि
बिल्डिंग	रु. 1,00,000/-	रु. 1,00,000/-	रु. 50,000/-	रु. 50,000/-
मशीनरी	रु. 3,00,000/-	रु. 2,00,000/-	रु. 2,00,000	रु. 2,00,000
स्टॉक	रु. 5,00,000/-	रु. 6,00,000/-	रु. 60,000/-	रु. 50,000/-**
कुल		रु. 9,00,000/-		

<u>संशोधित पाठ के रूप में</u>

<u>अध्याय 7 पृष्ठ क्र. 134 – तालिका</u>

	बीमाकृत राशि	मूल्य	हानि	देय राशि
बिल्डिंग	रु. 1,00,000/-	रु. 1,00,000/-	रु. 50,000/-	रु. 50,000/-
मशीनरी	रु. 3,00,000/-	रु. 2,00,000/-	रु. 2,00,000	रु. 2,00,000
स्टॉक	रु. 5,00,000/-	रु. 6,00,000/-	रु. 60,000/-	रु. 50,000/-**
कुल	रु. 9,00,000/-	रु. 9,00,000/-		

पुस्तक में मूल पाठ

अध्याय 11- पृष्ठ क्र. 223-224 संख्यात्मक उदाहरण तथा मामला अध्ययन- उदाहरण 1

किसी एक बीमाधारक को उसकी रसायन निर्माण फैक्टरी को 1.4.2009 से 31.3.2010 तक की अवधि के लिए आवरित करती मानक अग्नि एवं विशेष जोखिम पॉलिसी जारी की गयी थी. 30.9.2009 को आये एक भयंकर चक्रवात के कारण बीमाधारक की बिल्डिंग, संयंत्र और मशीनरी तथा स्टॉक को हानि पहुंची.

सम्पत्ति की बीमाकृत राशि, हानि की तारीख को रहा मूल्य तथा आकलित सकल हानि निम्नानुसार थी :

आवरित सम्पत्ति	**बीमाकृत राशि(रु.)**	**हानि की तारीख को रहा मूल्य(रु.)**	**आकलित हानि (रु.)**
बिल्डिंग	1,00,00,000	1,00,00,000	2,00,00,000
मशीनरी	3,00,00,000	2,00,00,000	5,00,00,000
स्टॉक	5,00,00,000	6,00,00,000	1,60,00,000

बिल्डिंग 5 वर्ष पुरानी है और मूल्यह्रास की दर 5% वार्षिक है.

मशीनरी 7 वर्ष पुरानी है और मूल्यह्रास की दर 5% वार्षिक है.

बीमाधारक ने निम्नलिखित स्वैच्छिक व्यवकलनीय के विकल्प भी चुने:

एओजी आपदाएं - दावा राशि का 5% जो कि न्यूनतम रु.10,00,000 के अधीन था तथा अन्य जोखिमों के लिए यह न्यूनतम रु.5,00,000 था.

साल्वेज (जिसे बीमाधारक ने अपने अधिकार में ले लिया) मूल्य :

बिल्डिंग	रु.40,000
मशीनरी	रु.70,000
स्टॉक	रु.30,000

बीमाधारक को देय हानि राशि की गणना कीजिए.

हल

बिल्डिंग

आकलित सकल हानि	रु.20,00,000
घटाएं: 25% मूल्यह्रास	रु.5,00,000
	रु.15,00,000
साल्वेज	रु.40,000
देय शुद्ध राशि	**रु**.14,60,000

नोट: अधोबीमा लागू नहीं होता

मशीनरी

आकलित सकल हानि	रु.50,00,000
घटाएं : 35% मूल्यह्रास	रु.17,50,000
	रु.32,50,000
घटाएं: साल्वेज	रु.70,000
देय शुद्ध राशि	**रु**.31,80,000

नोट: अधोबीमा लागू नहीं होता

स्टॉक

आकलित सकल हानि	रु.1,60,00,000
घटाएं: साल्वेज	रु.30,000
	रु.1,59,70,000
घटाएं : अधोबीमा @16.67%	रु.26,62,199
देय शुद्ध राशि	**रु**.1,33,,07,801

बिल्डिंग, संयंत्र एवं मशीनरी तथा स्टॉक हेतु देय कुल दावा राशि	रु.1,79,47,801
घटाएं: अनिवार्य आधिक्य -दावा राशि का 5%	रु.8,97,390
	रु.1,70,50,411
घटाएं: स्वैच्छिक आधिक्य	रु.10,00,000
शुद्ध देय दावा राशि	**रु**.1,60,50,411

संशोधित पाठ के रूप में

अध्याय 11- पृष्ठ क्र. 223-224 संख्यात्मक उदाहरण तथा मामला अध्ययन- उदाहरण 1

किसी एक बीमाधारक को उसकी रसायन निर्माण फैक्टरी को 1.4.2009 से 31.3.2010 तक की अवधि के लिए आवरित करती मानक अग्नि एवं विशेष जोखिम पॉलिसी जारी की गयी थी. 30.9.2009 को आये एक भयंकर चक्रवात के कारण बीमाधारक की बिल्डिंग, संयंत्र और मशीनरी तथा स्टॉक को हानि पहुंची.

सम्पत्ति की बीमाकृत राशि, हानि की तारीख को रहा मूल्य तथा आकलित सकल हानि निम्नानुसार थी :

आवरित सम्पत्ति	**बीमाकृत राशि(रु.)**	**हानि की तारीख को रहा मूल्य(रु.)**	**आकलित हानि (रु.)**
बिल्डिंग	1,00,00,000	1,00,00,000	20,00,000
मशीनरी	3,00,00,000	2,00,00,000	50,00,000
स्टॉक	5,00,00,000	6,00,00,000	1,60,00,000

बिल्डिंग 5 वर्ष पुरानी है और मूल्यह्रास की दर 5% वार्षिक है.

मशीनरी 7 वर्ष पुरानी है और मूल्यह्रास की दर 5% वार्षिक है.

बीमाधारक ने निम्नलिखित स्वैच्छिक व्यवकलनीय के विकल्प भी चुने:

एओजी आपदाएं - दावा राशि का 5% जो कि न्यूनतम रु.10,00,000 के अधीन था तथा अन्य जोखिमों के लिए यह न्यूनतम रु.5,00,000 था.

अनिवार्य कटौती योग्य: दावा राशि का 5%

बिल्डिंग	रु.40,000
मशीनरी	रु.70,000
स्टॉक	रु.30,000

बीमाधारक को देय हानि राशि की गणना कीजिए.

हल

बिल्डिंग

आकलित सकल हानि	रु.20,00,000
घटाएं: 25% मूल्यह्रास	रु.5,00,000
	रु.15,00,000
साल्वेज	रु.40,000
देय शुद्ध राशि	**रु**.14,60,000

नोट: अधोबीमा लागू नहीं होता

मशीनरी

आकलित सकल हानि	रु.50,00,000
घटाएं : 35% मूल्यह्रास	रु.17,50,000
	रु.32,50,000
घटाएं: साल्वेज	रु.70,000
देय शुद्ध राशि	**रु**.31,80,000

नोट: अधोबीमा लागू नहीं होता

स्टॉक

आकलित सकल हानि	रु.1,60,00,000
घटाएं: साल्वेज	रु.30,000
	रु.1,59,70,000
घटाएं : अधोबीमा @16.67%	रु.26,62,199
देय शुद्ध राशि	**रु**.1,33,,07,801

बिल्डिंग, संयंत्र एवं मशीनरी तथा स्टॉक हेतु देय कुल दावा राशि	रु.1,79,47,801
घटाएं: स्वैच्छिक आधिक्य	रु.10,00,000
	रु.1,69,47,801
घटाएं: अनिवार्य आधिक्य -दावा राशि का 5%	रु.8,47,390
शुद्ध देय दावा राशि	रु.1,61,00,411

पुस्तक में मूल पाठ

अध्याय 12 पृष्ठ क्र. 235- पॉइन्ट b) आदेश के विरुद्ध अपील

- दर्ज किये गये मामलों का विस्तृत मूल्यांकन करने के बाद उपभोक्ता मंचों की ओर से आदेश जारी किये जाते हैं और यदि ऐसे आदेशों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की गयी हो तो ऐसे आदेश अधिनियम के अंतर्गत अंतिम आदेश माने जाते हैं. तथापि, यदि कोई शिकायतकर्ता जिला मंच, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के आदेश से व्यथित हुआ हो तो वह ऐसे आदेश पारित किये जाने जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर क्रमशः राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग और उच्चतम न्यायालय में अपील दायर कर सकता है.

संशोधित पाठ के रूप में

अध्याय 12 पृष्ठ क्र. 235- पॉइन्ट b) आदेश के विरुद्ध अपील

- दर्ज किये गये मामलों का विस्तृत मूल्यांकन करने के बाद उपभोक्ता मंचों की ओर से आदेश जारी किये जाते हैं और यदि ऐसे आदेशों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की गयी हो तो ऐसे आदेश अधिनियम के अंतर्गत अंतिम आदेश माने जाते हैं. तथापि, यदि कोई शिकायतकर्ता जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के आदेश से व्यथित हुआ हो तो वह ऐसे आदेश पारित किये जाने जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर क्रमशः राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग और उच्चतम न्यायालय में अपील दायर कर सकता है.

पुस्तक में मूल पाठ

अध्याय 12 पृष्ठ क्र. 235- पॉइन्ट c) आदेशों का पालन न करने पर दंड

- यदि बिमाकर्ता जिला मंच, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग, जो भी मामला हो, द्वारा पारित किसी आदेश का अनुपालन नहीं करता या करने से चूक जाता है तो ऐसे में उसे कारावास की सजा हो सकती है जो कि कम से कम एक महीना और जिसे तीन वर्ष तक की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है या रु.2500 से लेकर रु.10000 तक का अर्थदंड या दोनों हो सकते हैं.

  जिला मंच,राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग द्वारा तब तक किसी भी शिकायत पर विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि वह वाद हेतुक उत्पन्न होने की तारीख से दो वर्ष के भीतर फाइल नहीं की जाती.

संशोधित पाठ के रूप में

अध्याय 12 पृष्ठ क्र. 235- पॉइन्ट c) आदेशों का पालन न करने पर दंड

- यदि बिमाकर्ता जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग, जो भी मामला हो, द्वारा पारित किसी आदेश का अनुपालन नहीं करता या करने से चूक जाता है तो ऐसे में उसे कारावास की सजा हो सकती है जो कि कम से कम एक महीना और जिसे तीन वर्ष तक की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है या रु.25,000 से लेकर रु.1,00,000 तक का अर्थदंड या दोनों हो सकते हैं.

  जिला आयोग,राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग द्वारा तब तक किसी भी शिकायत पर विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि वह वाद हेतुक उत्पन्न होने की तारीख से दो वर्ष के भीतर फाइल नहीं की जाती.

पुस्तक में मूल पाठ

अध्याय 12 पृष्ठ क्र. 239-सारांश- पॉइन्ट (i)

i) यदि बीमाकर्ता जिला मंच, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग, जो भी मामला हो, द्वारा पारित किसी आदेश का अनुपालन नहीं करता या करने से चूक जाता है तो ऐसे में उसे कारावास की सजा हो सकती है जो कि कम से कम एक महीना और जिसे तीन वर्ष तक की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है या रु.2500 से लेकर रु.10000 तक का अर्थदंड या दोनों हो सकते हैं.

संशोधित पाठ के रूप में

अध्याय 12 पृष्ठ क्र. 239- पॉइन्ट (i)

i) यदि बीमाकर्ता जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग, जो भी मामला हो, द्वारा पारित किसी आदेश का अनुपालन नहीं करता या करने से चूक जाता है तो ऐसे में उसे कारावास की सजा हो सकती है जो कि कम से कम एक महीना और जिसे तीन वर्ष तक की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है या रु. 25,000 से लेकर रु.1,00,000 तक का अर्थदंड या दोनों हो सकते हैं..

पुस्तक में मूल पाठ

अध्याय 12 पृष्ठ क्र. 241

स्व-परीक्षा प्रश्न

प्रश्न 1

जिला मंच, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग की ओर से तब तक किसी भी शिकायत पर विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि वह शिकायत वाद हेतुक उत्पन्न होने की तारीख से ------ के भीतर दर्ज नहीं की जाती.

I. छः महीने
II. एक वर्ष
III. दो वर्ष
IV. तीन वर्ष

पुस्तक में मूल पाठ

अध्याय 12 पृष्ठ क्र. 242

स्व-परीक्षा प्रश्नों के उत्तर

उत्तर 1

सही विकल्प है ।।।.

जिला मंच, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग की ओर से तब तक किसी भी शिकायत पर विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि वह शिकायत वाद हेतुक उत्पन्न होने की तारीख से दो वर्ष के भीतर दर्ज नहीं की जाती.

संशोधित पाठ के रूप में

अध्याय 12 पृष्ठ क्र. 241

स्व-परीक्षा प्रश्न

प्रश्न 1

जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग की ओर से तब तक किसी भी शिकायत पर विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि वह शिकायत वाद हेतुक उत्पन्न होने की तारीख से ------ के भीतर दर्ज नहीं की जाती.

I. छः महीने
II. एक वर्ष
III. दो वर्ष
IV. तीन वर्ष

संशोधित पाठ के रूप में

अध्याय 12 पृष्ठ क्र. 242

स्व-परीक्षा प्रश्नों के उत्तर

उत्तर 1

सही विकल्प है ।।।.

जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग की ओर से तब तक किसी भी शिकायत पर विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि वह शिकायत वाद हेतुक उत्पन्न होने की तारीख से दो वर्ष के भीतर दर्ज नहीं की जाती..

पुस्तक में मूल पाठ

अध्याय 12 पृष्ठ क्र. 242

स्व-परीक्षा प्रश्न

प्रश्न 3

यदि कोई बीमाकर्ता राष्ट्रीय आयोग द्वारा पारित किसी आदेश का अनुपालन कर पाने में विफल रहता है तो ऐसा बीमाकर्ता निम्नलिखितानुसार दंड का भागी होगाः

I. कम से कम एक महीने तक की कारावास की सजा जिसे बढ़ा कर तीन साल तक किया जा सकता

है.

II. रु.2500 से लेकर रु.10000 तक का अर्थदंड

III. कम से कम एक महीने तक की कारावास की सजा लेकिन जिसे बढ़ाकर तीन साल तक किया जा सकता है या रु.2500 से लेकर रु.10000 तक का अर्थदंड या दोनों ही.

IV. ऐसी स्थिति में कारावास की अवधि या अर्थदंड या दोनों के मामले में निर्णय लेने हेतु मामला उच्चतम न्यायालय को संदर्भित किया जाता है.

पुस्तक में मूल पाठ

अध्याय 12 पृष्ठ क्र. 242

स्व-परीक्षा प्रश्नों के उत्तर

उत्तर 3

सही विकल्प है III.

यदि कोई बीमाकर्ता राष्ट्रीय आयोग द्वारा पारित किसी आदेश का अनुपालन कर पाने में विफल रहता है तो ऐसा बीमाकर्ता कम से कम एक महीने तक की कारावास की सजा लेकिन जिसे बढ़ाकर तीन साल तक किया जा सकता है या रु.2500 से लेकर रु.10000 तक का अर्थदंड या दोनों का ही भागीदार होगा.

संशोधित पाठ के रूप में

अध्याय 12 पृष्ठ क्र. 242

स्व-परीक्षा प्रश्न

प्रश्न 3

यदि कोई बीमाकर्ता राष्ट्रीय आयोग द्वारा पारित किसी आदेश का अनुपालन कर पाने में विफल रहता है तो ऐसा बीमाकर्ता निम्नलिखितानुसार दंड का भागी होगा:

I. कम से कम एक महीने तक की कारावास की सजा जिसे बढ़ा कर तीन साल तक किया जा सकता है.

II. रु.2500 से लेकर रु.10000 तक का अर्थदंड

III. कम से कम एक महीने तक की कारावास की सजा लेकिन जिसे बढ़ाकर तीन साल तक किया जा सकता है या रु.25,000 से लेकर रु.1,00,000 तक का अर्थदंड या दोनों ही.

IV. ऐसी स्थिति में कारावास की अवधि या अर्थदंड या दोनों के मामले में निर्णय लेने हेतु मामला उच्चतम न्यायालय को संदर्भित किया जाता है

संशोधित पाठ के रूप में

अध्याय 12 पृष्ठ क्र. 242

स्व-परीक्षा प्रश्नों के उत्तर

उत्तर 3

सही विकल्प है ॥।.

यदि कोई बीमाकर्ता राष्ट्रीय आयोग द्वारा पारित किसी आदेश का अनुपालन कर पाने में विफल रहता है तो ऐसा बीमाकर्ता कम से कम एक महीने तक की कारावास की सजा लेकिन जिसे बढ़ाकर तीन साल तक किया जा सकता है या रु.25,000 से लेकर रु.1,00,000 तक का अर्थदंड या दोनों का ही भागीदार होगा.